रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1970/ज्येष्ठ 6, 1892

No. 97] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1970/JYAISTHA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 27th May 1970

G.S.R. 860.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tourist Baggage Rules, 1958, published with the Notification of the Government of India in the late Central Board of Revenue No. 225-Customs dated the 3rd August, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Tourist Baggage (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 27th June, 1970.

2. In rule 4 of the Tourist Baggage Rules, 1958, for the words "rupees eight hundred", the words "rupees five hundred" shall be substituted.

[No. 53/Customs/F. No. 9/12/70-Cus. VI.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना]

सीमा शल्क

नई दिल्ली, 27 मई, 1970

सा० का० नि० 860.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की अधिसूचना सं० 225-सीमा शुल्क तारीख 3 अगस्त, 1958 के साथ प्रकाशित पर्यटक सामान नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पर्यटक सामान (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 27 जून, 1970 को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यटक सामान नियम, 1958 के नियम 4 में, "आठ सौ रुपए", शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 53/सीमा शुल्क/फा० सं० 9/12/70—सी० शु०—6]

ज्योतिर्मय दत्त, उपसचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970